

कार्यालय – अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-02

दिनांक: 21 / 08 / 2026

पत्रांक: 985/अ0छा0क0 / 2026

:सूचना:

सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को एतद् द्वारा अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के अनाधिकृत व्हाट्सअप ग्रुप (जिसमें विश्वविद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रसारित हों) का संचालन एवं उसकी सदस्यता ग्रहण करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

अतः भविष्य में विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं द्वारा ऐसे किसी भी अनाधिकृत व्हाट्सअप ग्रुप के संचालन की स्थिति संज्ञान में आने पर कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

(प्रो० सी०एल०गेहलोत)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष कार्याधिकारी कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
3. अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय के साथ कि अपने-अपने विभाग में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. समस्त छात्रावास अभिरक्षक/अभिरक्षिका, एच०बी०टी०यू०, कानपुर।

(प्रो० सी०एल०गेहलोत)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण